रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06112026-277735
CG-DL-E-06112026-277735

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5722] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 2, 2026/कार्तिक 11, 1948
No. 5722] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 2, 2026/KARTIKA 11, 1948

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 नवंबर, 2026

का.आ. 5954(अ).— जबकि पहचान स्थापित करने के लिए आधार संख्या का उपयोग व्यक्तियों को सुविधाजनक और निर्बाध रीति से सहायिकियों, लाभों और सेवाओं को प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, पहचान स्थापित करने के लिए अनेक दस्तावेजों की आवश्यकता को समाप्त करता है, प्रक्रियाओं को सरल बनाता है और पारदर्शिता और दक्षता का संप्रवर्तन करता है;

और जबकि भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) से परामर्श के पश्चात्, अपने पत्र संख्या /ई फाइल सं. 22(6)/2026-साइबर विधि, तारीख 24 अप्रैल, 2026 द्वारा, सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियमावली, 2020 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 3 के उप-नियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को अधिप्रमाणन करने की अनुमति दी है और आधार संख्या धारक की पहचान स्थापित करने के लिए अधिप्रमाणन के दौरान आधार संख्या के उपयोग को अनुज्ञात किया है;

और जबकि, भारतीय जलमार्ग प्राधिकरण के जलयान एवं नाविक पोर्टल के उपयोगकर्ता मॉड्यूल में पंजीकरण कराने वाले जलयान स्वामी, अंतर्देशीय जलयान चालक दल के सदस्यों, पोत निर्माताओं और पोत डिजाइनरों की पहचान स्थापित

करने के लिए आधार अधिप्रमाणन किया जाएगा, तथापि, पोर्टल के माध्यम से प्रदान की जाने वाली पोत पंजीकरण, सर्वेक्षण, प्रमाणीकरण, चालक दल प्रमाणीकरण और अन्य संबंधित सेवाओं का लाभ उठाने के लिए हां/ना और/या ई-केवाईसी प्रमाणीकरण सुविधाओं का उपयोग करके स्वैच्छिक आधार पर अधिप्रमाणन किया जाएगा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त प्रयोजन कहा गया है), जैसा कि उक्त नियमों के नियम 3 के उप-नियम (1) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट है, और उक्त प्रयोजन के लिए आधार अधिप्रमाणन का निष्पादन स्वैच्छिक आधार पर होगा।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त नियमों के नियम 5 के साथ पठित आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, लाभों और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (ख) के उपखंड (ii) के अनुसरण में, निम्नलिखित को अधिसूचित करती है, अर्थात:-

भारत का अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण-

(क) इस अधिसूचना के अधीन अधिप्रमाणन के प्रयोजन के लिए, आधार संख्या धारक की सहमति स्वैच्छिक आधार पर प्राप्त करेगा;

(ख) आधार संख्या धारक को निम्नलिखित वैकल्पिक और व्यवहार्य विकल्पों की सूचना देगा, अर्थात् :-

(i) पासपोर्ट; या
(ii) मतदाता पहचान पत्र (ईपीआईसी); या
(iii) ड्राइविंग अनुज्ञप्ति ; या
(iv) स्थायी लेखा संख्या (पैन) कार्ड;

(ग) आधार अधिप्रमाणन कराने से इनकार करने या असमर्थ होने के कारण आधार संख्या धारक को सेवा से इनकार नहीं किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रभावी होगी।

[फा. सं. आईडब्ल्यूटी- 13011/3/2020- आईडब्ल्यूटी]

डॉ. कमला कांता नाथ, सलाहकार (सांख्यिकी)

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd November, 2026

S.O. 5954(E).— Whereas, the use of Aadhaar number to establish identity enables individuals to receive subsidies, benefits and services in a convenient and seamless manner, obviates the need for multiplicity of documents to establish identity, simplifies processes and promotes transparency and efficiency;

And whereas, the Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India, after consultation with the Unique Identification Authority of India (UIDAI), has *vide* its letter no./eF.No. 22(6)/2026-Cyberlaws dated the 24th April, 2026 for the purposes specified under sub-rule (1) of rule 3 of the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020 (hereinafter referred to as the said rules), allowed the Inland Waterways Authority of India to perform authentication and has permitted use of Aadhaar number during authentication for establishing identity of Aadhaar number holder;

And whereas, the Aadhaar authentication shall be performed for establishing the identity of vessel owners, Inland vessel crew members, shipbuilders and ship designers seeking registration in the User Module of the Jalyan and Navic Portal of the Inland Waterways Authority of India, through voluntary Aadhaar authentication using Yes/No and/or e-KYC authentication facilities, for availing vessel registration, survey, certification, crew certification and other related

services provided through the portal (hereinafter referred to as the said purpose) as specified under sub-rule (1) of rule 3 of the said rules and the performance of Aadhaar authentication for the said purpose shall be on voluntary basis.

Now, therefore, in pursuance of sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of section 4 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) read with rule 5 of the said rules, the Central Government hereby notifies the following, namely:–

The Inland Waterways Authority of India–

(a) shall obtain the consent of the Aadhaar number holder for the purpose of authentication under this notification on voluntary basis;
(b) shall inform the Aadhaar number holder of the following alternate and viable means of identification, namely:–
(i) Passport; or
(ii) Voter Identity Card (EPIC); or
(iii) Driving Licence; or
(iv) Permanent Account Number (PAN) Card;
(c) shall not deny any service to the Aadhaar number holder for refusing to, or being unable to, undergo Aadhaar authentication.

2. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. IWT-13011/3/2020-IWT]

Dr. KAMALA KANTA NATH, Adviser (Statistics)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

BHABAJIT DEKA